[ 2018 ] 9 एस. सी. आर. 1006

मोहन लाल

वी.

पंजाब राज्य

( 2011 की आपराधिक अपील सं. 1880)

अगस्त 16,2018

[ रंजन गोगोई, आर. भानुमती और

नवीन सिन्हा, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985: जाँच में निष्पक्षता और निष्पक्षता सूचना देने वाला और

अन्वेषक, यदि एक ही व्यक्ति ऐसी जाँच की पवित्रता चाहे आपराधिक अभियोजन में हो, यह न्याय, निष्पक्ष खेल और निष्पक्ष जाँच के सिद्धांतों के अनुरूप होगा, यदि -

मुखबिर और जाँच अधिकारी को एक ही व्यक्ति होना था-आयोजितः यदि आपराधिक अभियोजन में एक सूचना देने वाला पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से सबूत के विपरीत बोझ के साथ, आरोप लगाता है और खुद को जांच करने के लिए कहा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी निष्पक्षता के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होंगे-यह है

वास्तव में पक्षपात साबित करना आवश्यक नहीं है-यह मान लेना अतार्किक होगा और सामान्य मानव आचरण के विपरीत होगा, कि वह स्वयं जांच के अंत में इसके सभी परिचर परिणामों के साथ गलत निहितार्थ का निष्कर्ष निकालने के लिए एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

शिकायतकर्ता स्वयं-इसलिए, जांच का परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष होगा-एक निष्पक्ष जांच, जो निष्पक्ष सुनवाई का आधार है, आवश्यक रूप से यह मानती है कि सूचना देने वाला और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए-न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि पक्षपात या पूर्व निर्धारित निष्कर्ष की किसी भी संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए-यह आवश्यकता सबूत के विपरीत बोझ वाले कानूनों में और भी अधिक अनिवार्य है-पक्षपात-आपराधिक कानून-निष्पक्ष सुनवाई-जांच-प्राकृतिक न्याय-साक्ष्य-सबूत का विपरीत बोझ।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985: एस. 18-अफीम की बरामदगी सूचना देने वाला-पुलिस के तहत दोषसिद्धि

अधिकारी पीडब्लू-1 ने सरपंच और एक अन्य पुलिस कार्यालय के साथ अपीलार्थी द्वारा लिए गए एक थैले से 4 किलोग्राम अफीम बरामद की, जिस पर सरपंच और पीडब्लू-1 द्वारा हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन था।

1006 मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य

मालखाने में मादक पदार्थ जमा करें-नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि

-

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः कहा गया था कि सरपंच

पुलिस वाहन में पुलिस अधिकारी (पीडब्लूआई) और एएसआई के साथ

आधिकारिक ड्यूटी पर रहते हुए-यह निश्चित रूप से घटनाओं के सामान्य क्रम में नहीं है-सहमति ज्ञापन पर कहा गया था कि वह एक अनपढ़ होने के बावजूद, सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था-अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि आधिकारिक गवाह पर समन की सेवा और निजी गवाह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के बावजूद, न तो सहमति ज्ञापन और न ही मुहर को साबित किया जा सकता है गश्त के दौरान पुलिस वाहन में एक निजी व्यक्ति की उपस्थिति।

कर्तव्य, व्यक्ति का अनपढ़ होना, लेकिन सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना निश्चित रूप से जांच के लिए मामले थे-मामले की संपत्ति को पीडब्लू-1 द्वारा किराए के आवास में अपनी निजी हिरासत में रखा गया था और इसे मालखाने में जमा नहीं किया गया था और न ही मालखाने में प्रवेश किया गया था।

रोजनामचा-रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में नौ दिनों की देरी हुई-इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था उसी-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में देरी फिर से जांच का विषय था-निष्पक्ष जांच की संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन के कारण अभियोजन को दूषित कर दिया गया था-अपीलार्थी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985: एस. 55 -

आयोजित किया गयाः जब्त की गई सामग्री को पुलिस थाने के मालखाने में जमा करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985:

सबूत का बोझ-एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कड़े प्रावधान जांच के बाद उचित संदेह से परे एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं, केवल जिसके बाद सबूत का बोझ आरोपी पर स्थानांतरित हो जाएगा-अभियोजन पक्ष के मामले को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जाँचः निष्पक्ष सुनवाई-सबूत का उल्टा बोझ -

एन. डी. पी. एस. मामलों में साबित करनाः एक अभियुक्त के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई, संविधान के Art.21 के तहत एक संवैधानिक गारंटी होगी।

यदि एन. डी. पी. एस. मामले में जाँच निष्पक्ष नहीं होती है या जाँच के सामने इसकी निष्पक्षता के बारे में गंभीर सवाल उठाती है तो यह एक खोखला वादा होगा-[2018] 9 एस. सी. आर. के विपरीत बोझ की प्रकृति में।

सबूत, अभियोजन पक्ष पर यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होगी कि जांच निष्पक्ष थी, बिना किसी सबूत के न्यायसंगत थी।

ऐसी परिस्थितियाँ जो इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा कर सकती हैं-यदि जाँच स्वयं अनुचित है, तो अभियुक्त को प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।

पूर्वाग्रह पुलिस को मनमानी शक्तियां सौंपने के खतरे से भरा होगा जो गलत निहितार्थ का कारण भी बन सकता है-ऐसे मामले में जांच तब एक खाली औपचारिकता और एक प्रहसन बन जाएगी-इसलिए, इस तरह की व्याख्या से स्वाभाविक रूप से बचना होगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पुलिस में एक निजी व्यक्ति की उपस्थिति

गश्ती ड्यूटी के दौरान वाहन, व्यक्ति का अनपढ़ होना, लेकिन सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था

जांच पड़ताल की। इसी तरह, ए. एस. आई. के हस्ताक्षर-'बी. एस.' या पी. डब्ल्यू.-4 क्यों?

सहमति ज्ञापन पर प्राप्त नहीं किया गया था फिर से जांच का विषय था। ए. एस. आई.-'बी. एस.' को सौंपी गई नमूना मुहर की सच्चाई भी इसी तरह जांच का विषय थी कि क्या यह उसके पास रखी गई मामले की संपत्ति पर मुहर के समान थी।

पीडब्लू-1 द्वारा निजी अभिरक्षा और उसे रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। केवल यह तथ्य कि एक मुहर हो सकती है, किसी भी स्थिति का कारण नहीं बन सकता है। ए. एस. आई. की परीक्षा के अभाव में अनुमान-'बी. एस.'। इसी तरह, यह भी जांच का विषय था कि पीडब्लू-1 ने जब्त की गई संपत्ति में कोई रोजनामचा प्रवेश क्यों नहीं किया और मालखाने की उपलब्धता के बावजूद उसने मामले की संपत्ति और नमूने को किराए के घर में अपनी निजी हिरासत में क्यों रखा। रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में देरी, तथ्यों में और

मामले की परिस्थितियाँ फिर से जाँच का विषय थीं। यदि जांचकर्ता शिकायतकर्ता से अलग होता, तो विचार के लिए मुद्दे पूरी तरह से अलग हो सकते थे। [ पारस 7,8] [1013-ई-एच; 1014-ए]

2. आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांत के विपरीत कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता, एन. डी. पी. एस. अधिनियम धारा 35 और 54 के तहत सबूत का उल्टा बोझ वहन करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस क्षण कोई आरोप लगाया जाता है और एफ. आई. आर. अनुपालन का पाठ करता है

वसूली की ओर ले जाने वाली वैधानिक प्रक्रियाएं, अभियोजन की शुरुआत से ही सबूत का बोझ अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है, अभियोजन पक्ष को कुछ भी स्थापित या साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पंजाब राज्य

क्षमा, जाँच के बाद उचित संदेह से परे एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष की आवश्यकता को समाप्त न करें, जिसके बाद ही सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित होगा। अभियोजन पक्ष के मामले को संभावनाओं की अधिकता पर आधारित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [ पैरा 10] [1015-डी-एफ] 3. यदि एन. डी. पी. एस. मामले में जाँच निष्पक्ष नहीं होती है या जाँच के सामने इसकी निष्पक्षता के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं, तो किसी अभियुक्त के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक संवैधानिक गारंटी, एक खोखला वादा होगा। सबूत के विपरीत बोझ की प्रकृति में, अभियोजन पक्ष पर यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होगी कि जांच निष्पक्ष, विवेकपूर्ण थी और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा हो। [ पैरा 11] [1015-जी]

बाबूभाई वी. गुजरात राज्य, (2010) 12 एससीसी 254: [ 2010 ] 10 एससीआर 651; भोला सिंह बनाम। पंजाब राज्य, 2011 (11) एससीसी 653: [ 2011 ] 2 एससीआर 642; नूर आगा बनाम। पंजाब राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 417: [ 2008 ] 10 एससीआर 379 -

उस पर भरोसा करें

इसलिए जाँच एक पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष होगा। एक निष्पक्ष जांच, जो निष्पक्ष मुकदमे की नींव है, अनिवार्य रूप से यह मानती है कि सूचना देने वाला और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। पक्षपात या [2018] 9 एस की कोई संभावना।

पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष को बाहर रखा जाना चाहिए। रिवर्स बर्ड प्रूफ रखने वाले कानूनों में यह माँग और भी अधिक अनिवार्य है। तत्काल मामले में, अभियोजन को संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन के कारण वैध माना जाता है

जांच पड़ताल की। [ पैरा 14,25 और 26] [1017-जी-एच; 1018-ए-बी; 1 बी-डी]

नौशाद वी. केरल राज्य 2000 (1) के. एल. टी 785

मंजूरी मिल गई।

कादर वी. केरल राज्य 2001 CriLJ 4044-निरस्त

15 ; मेघा सिंह बनाम। हरियाणा राज्य 1996 (11) एससीसी 709 ; पुलिस निरीक्षक, मादक पदार्थ खुफिया द्वारा राज्य

ब्यूरो, मदुरै, तमिलनाडु बनाम। राजंगम 2010 (15)

एस. सी. सी. 369; पंजाब राज्य बनाम। बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172 [1999] 3 एससीआर 977; भास्कर रामप्पा

मदार और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 690

: [ 2009 ] 5 एस. सी. आर. 256; सुरेंदर बनाम हरियाणा राज्य, ( 2016 ) 4 एससीसी 617 [2016] 1 एससीआर 174; बालासुंदरन

वी. राज्य 1999 (113) ई. एल. टी. 785 (मैड.); राज्य प्रतिनिधि। द्वारा पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक,

तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु बनाम। वी. जयपॉल 2004 (5) एससीसी

223 ; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। अतुल शर्मा 2015

( 2 ) शिम्लक 693; श्री फ़यास अली बनाम। मिजोरम राज्य

सीआरएल। 2013 (जे) की अपील संख्या 26 दिनांक 19.09.2013; गन्नू और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य, 2017 (3) आरसीआर

( आपराधिक) 566 (सीआरएल। अपील सं. 1688-2004 का एस. बी. दिनांकित

26.05.2017 ) - संदर्भित किया गया है

मामला कानून

संदर्भ

( 1976 ) 1 एससीसी 15

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

( 1996 ) 11 एस. सी. सी. 709

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

( 2010 ) 15 एस. सी. सी. 369

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

[ 1999 ] 3 एससीआर 977

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[ 2009 ] 5 एससीआर 256

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[ 2016 ] 1 एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[ 2008 ] 10 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

उस पर भरोसा करें

पैरा 12 मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य

[ 2011 ] 2 एससीआर 642

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

1999 ( 113 ) ई. एल. टी. 785 (मैड.)

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

( 2004 ) 5 एससीसी 223

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

2000 ( 1 ) के. एल. टी. 785

मंजूरी मिल गई।

पैरा 23

2001 CRILJ 4044

खारिज कर दिया गया

पैरा 23

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2011 का सं. 1880।

उच्च न्यायालय के 19.09.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1998 की आपराधिक अपील सं. 486-एस. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

चंचल कुमार गांगुली, संजय मंडल, करुणेश के. शुक्ला,

सुश्री नर्मदा सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा, जे. 1. अपीलार्थी अपने दोषसिद्धि पर आरोप लगाता है

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद "एन. डी. पी. एस. एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा 18 में उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

2. पीडब्लू-1, चांद सिंह द्वारा 03.02.1997 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था।

उसके द्वारा ले जाए गए एक थैले में 4 किलो अफीम। सहमति ज्ञापन, प्रदर्शनी पी. बी. पर दर्शन सिंह और पी. डब्ल्यू.-1 ने हस्ताक्षर किए थे। जब्त अफीम को 20 ग्राम के नमूने में विभाजित किया गया था। और 3 किलो 980 ग्राम। नमूना मुहर पीडब्लू-1 द्वारा तैयार की गई थी और उपयोग के बाद, मुहर एएसआई, बलविंदर सिंह को सौंप दी गई थी। "रुका" को पीडब्लू-1 द्वारा तैयार किया गया था और अग्रेषित किया गया था बालियांवाली पुलिस थाना। पीडब्लू-3, सहायक उप-निरीक्षक, दर्शन सिंह

औपचारिक एफ. आई. आर. पंजीकृत किया और पी. डब्ल्यू.-1 को जांच सौंपी। जाँच के समापन पर, अपीलार्थी पर आरोप पत्र दायर किया गया, मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. एस. अपीलार्थी के वकील चंचलकुमार गंगुली ने कहा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम एक कठोर कानून है जो इसके विपरीत है।

सबूत का बोझ, कानून और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। जाँच केवल निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की आवश्यकता नहीं थी

विवेकपूर्ण, लेकिन ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। जाँच इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि अभियुक्त के मन में एक वास्तविक आशंका हो कि यह निष्पक्ष और प्रामाणिक नहीं थी। अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शन सिंह और एएसआई बलविंदर सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की गई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। पीडब्लू-1 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने जब्त किए गए नशीले पदार्थों को मालखाने में क्यों जमा नहीं किया। इसी तरह रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में भी 9 दिनों की देरी होती है।

( 1999 ) 6 एस. सी. सी. 172, भास्कर रामप्पा मदार और Ors.vs। की स्थिति कर्नाटक, (2009) 11 एस. सी. सी. 690, सुरेंद्र बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 4 एस. सी. सी. 617।

5. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

वर्तमान अपील में हमारे विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या आपराधिक अभियोजन में, यह न्याय, निष्पक्ष खेल और निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों के अनुरूप होगा, यदि सूचना देने वाला और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति होना था। ऐसे मामले में, क्या अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह प्रदर्शित करना आवश्यक है, विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसे कानूनों के तहत, जिसमें सबूत का उल्टा बोझ होता है।

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

आधिकारिक गवाह को समन भेजे जाने और निजी गवाह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद एएसआई बलविंदर सिंह से पूछताछ नहीं की गई। उनकी अनुपस्थिति में, न तो सहमति ज्ञापन और न ही मुहर को साबित किया जा सकता है। रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में नौ दिनों की देरी हुई। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीडब्लू-4 ने स्वीकार किया कि वसूली ज्ञापन, प्रदर्शनी-पीसी पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और न ही अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियां दी गई थीं और न ही उसकी उपस्थिति में इस संबंध में कोई ज्ञापन तैयार किया गया था। प्रदर्शनी-पी. बी., सहमति ज्ञापन में केवल यह उल्लेख किया गया था कि वह ए. एस. पी., फुल थे। 7. गश्ती ड्यूटी के दौरान पुलिस वाहन में एक निजी व्यक्ति की उपस्थिति, व्यक्ति का अनपढ़ होना, लेकिन सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना निश्चित रूप से जांच के लिए महत्वपूर्ण थे। इसी तरह, सहमति ज्ञापन पर एएसआई बलविंदर सिंह या पीडब्लू-4 के हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए गए, यह फिर से जांच का विषय था। एएसआई बलविंदर सिंह को सौंपी गई नमूना मुहर की सच्चाई भी इसी तरह जांच का विषय थी कि क्या यह पीडब्लू-1 द्वारा उनकी निजी हिरासत में रखी गई मामले की संपत्ति पर मुहर के समान थी और जिसे उनके पास भेजा गया था।

रासायनिक विश्लेषण। एएसआई बलविंदर की जांच के अभाव में केवल यह तथ्य कि कोई मुहर लगी हो सकती है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है सिंह। इसी तरह, यह भी जांच का विषय था कि पीडब्लू-1 ने जब्त की गई संपत्ति में कोई रोजनामचा प्रवेश क्यों नहीं किया और यह कारण कि उसने मामले की संपत्ति और नमूने को अपनी निजी हिरासत में क्यों रखा।

मालखाने की उपलब्धता के बावजूद किराए का घर। रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में देरी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में फिर से जांच का विषय था। यदि जांचकर्ता शिकायतकर्ता से अलग होता, तो विचार के लिए मुद्दों में [2018] 9 एस. सी. आर. हो सकता है।

पूरी तरह से अलग था। अपीलार्थी ने धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बचाव में विशेष रूप से एक ट्रैक्टर की खरीद के संबंध में विवाद के कारण पीडब्लू-1 द्वारा गलत निहितार्थ की याचिका ली थी।

8. उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 55 के तहत पीडब्लू-1 को मामले की संपत्ति रखने का अधिकार था। और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षित अभिरक्षा में नमूना पूरी तरह से गलत है। प्रावधान इस प्रकार हैः

" 55. पुलिस जब्त की गई और वितरित की गई वस्तुओं का प्रभार लेगी

एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी इसका प्रभार लेगा -

और के आदेशों को लंबित रखते हुए सुरक्षित हिरासत में रखें

मजिस्ट्रेट, उस पुलिस स्टेशन के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं और जो उसे दी जा सकती हैं, और किसी भी अधिकारी को अनुमति देगा जो ऐसे अधिकारी के साथ हो सकता है।

पुलिस थाने को भेजी गई वस्तुएँ या जिन्हें इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने के लिए या उनसे और उनसे नमूने लेने के लिए और इस तरह लिए गए सभी नमूनों को भी पुलिस के प्रभारी अधिकारी की मुहर से सील कर दिया जाएगा।

स्टेशन "। ( जोर दिया गया)

प्रावधान के एक सादे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जब्त की गई सामग्री को पुलिस में जमा करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। स्टेशन मालखाना।

9. धारा 1.13 में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जारी 88 का स्थायी आदेश संख्या 1 निम्नानुसार हैः

" प्रयोगशाला में नमूना भेजने के लिए विधि और समय सीमा। नमूनों को या तो बीमित डाक द्वारा या इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। पंजीकृत डाक या सामान्य डाक द्वारा नमूनों का प्रेषण नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी कानूनी आपत्ति से बचने के लिए जब्ती के 72 घंटों के भीतर नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए। ( जोर दिया गया)

द ड्रग लॉ एनफोर्समेंट-नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी फील्ड ऑफिसर्स हैंड बुक में यह भी प्रावधान है किः

" 28. क्या जब्त किए गए सामान और नमूने जमा किए गए थे

मालखाना जब्ती के बाद जल्द से जल्द अवसर पर, एक मलखाने से प्राप्त पावती-इन

शुल्क? ( जोर दिया गया)

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

29. क्या नमूने निर्धारित प्रयोगशाला में भेजे गए थे

जब्ती के 72 घंटों के भीतर विश्लेषण और रिपोर्ट करें? ”

नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, (2008) 16 एस. सी. सी. 417 में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया थाः

" 91. इन चर्चाओं का तार्किक परिणाम यह है कि स्थायी आदेश में मौजूद दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसके पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में भौतिक साक्ष्य की पवित्रता बरकरार रहे। स्पष्ट रूप से, जांच प्राधिकरण द्वारा इन दिशानिर्देशों का कोई पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि इस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते, तो वही होते।

अभियोजन पक्ष के खिलाफ चला गया। "

10. आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांत के विपरीत कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता, एन. डी. पी. एस. अधिनियम धारा 35 और 54 के तहत सबूत का उल्टा बोझ वहन करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस क्षण कोई आरोप लगाया जाता है और एफ. आई. आर. वसूली के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन का पाठ करता है, अभियोजन की शुरुआत से ही सबूत का भार अभियुक्त पर चला जाता है, बिना अभियोजन पक्ष को कुछ और स्थापित या साबित करने की आवश्यकता होती है। इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है। धारा 35 (2) में प्रावधान है कि एक तथ्य को साबित किया जा सकता है यदि यह उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है और संभावना की प्रधानता पर नहीं है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के कठोर प्रावधान, जैसे कि धारा 37, न्यूनतम दस साल की सजा, छूट के लिए किसी भी प्रावधान का अभाव, अभियोजन पक्ष की जांच के बाद उचित संदेह से परे एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं, जिसके बाद ही सबूत का भार आरोपी पर स्थानांतरित होगा। अभियोजन पक्ष के मामले को संभावनाओं की अधिकता पर आधारित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एन. डी. पी. एस. मामले में जाँच निष्पक्ष नहीं होनी चाहिए थी या जाँच के सामने इसकी निष्पक्षता के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। सबूत के विपरीत बोझ की प्रकृति में, अभियोजन पक्ष पर यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होगी कि जांच निष्पक्ष और विवेकपूर्ण थी। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा कर सके। उचित संदेह से परे सबूत का दायित्व अपने दायरे में ले लेगा

निष्पक्ष जांच, जिसके अभाव में कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है।

गैशन अपने आप में अनुचित है, ताकि आरोपी को प्रदर्शन करने की आवश्यकता हो

बर्फ में मनमानी शक्तियों को निहित करने के खतरे से भरा होगा जो गलत निहितार्थ की ओर भी ले जा सकता है। जांच में

मामला तब एक खाली औपचारिकता और एक प्रहसन बन जाएगा। इसलिए इस तरह की व्याख्या से स्वाभाविक रूप से बचना चाहिए।12. आपराधिक अपराध में वह जाँच इससे मुक्त होनी चाहिए।

आयनीय विशेषताएँ या दुर्बलताएँ जो वैध रूप से एक बाबूभाई बनाम स्टेट ऑफ एट, (2010) 12 एस. सी. सी. 254 में अभियुक्त की ओर से निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः

" 32. आपराधिक अपराध की जाँच इससे मुक्त होनी चाहिए। आपत्तिजनक विशेषताएँ या दुर्बलताएँ जो वैध रूप से अभियुक्त की ओर से शिकायत का कारण बन सकती हैं कि जाँच अनुचित थी और एक गलत उद्देश्य के साथ की गई थी। जाँच अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह किसी भी आरोपी को किसी भी तरह की शरारत और उत्पीड़न से बचने के लिए जाँच करे। जाँच अधिकारी को निष्पक्ष और सचेत होना चाहिए ताकि साक्ष्य के मनगढ़ंत होने की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके और उसके निष्पक्ष आचरण से उसकी वास्तविकता के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। जाँच अधिकारी "केवल ऐसे साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए नहीं है जो अदालत को अभियोग दर्ज करने में सक्षम बना सके।

दृढ़ विश्वास लेकिन वास्तविक अप्रकाशित सत्य को सामने लाने के लिए "।

33. बिहार राज्य में v. पी. पी. शर्मा ने इस न्यायालय के रूप में निर्णय दिया है इसके अंतर्गतः

व्यावसायिकता। ..... इसलिए, दुर्भावनापूर्ण या पक्षपातपूर्ण इस तरह के आरोपों को स्वीकार करने से पहले यह अदालत का हितकारी और एक भारी कर्तव्य और जिम्मेदारी है, न कि केवल उसके खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी के विशिष्ट और निश्चित आरोप लगाने पर जोर देना। जाँच अधिकारी को जाँच की शुरुआत में लेकिन उन्हें तथ्यों से स्थापित करने और साबित करने पर भी जोर देना चाहिए और

अदालत की संतुष्टि के लिए परिस्थितियाँ।

*

*

*

59. कानून में द्वेष का अनुमान जानबूझकर बिना किसी उचित कारण या बहाने के या इसके अभ्यास के उद्देश्य के साथ उचित संबंध के बिना गलत कार्य करने से लगाया जा सकता है। वैधानिक शक्ति। .....

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

61. एक जाँच अधिकारी जो संवेदनशील नहीं है संवैधानिक जनादेश, पर रौंदने के लिए प्रवण हो सकता है

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब वह दुर्भावना से प्रेरित होता है।

13. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष का कर्तव्य, सबूत के विपरीत बोझ को देखते हुए, नूर आगा (ऊपर) में देखा गया थाः

" 58 ..... अभियोजन पक्ष पर एक प्रारंभिक बोझ मौजूद है और केवल जब यह संतुष्ट हो जाता है, तो कानूनी बोझ बदल जाएगा। फिर भी, अभियुक्त के लिए अपने प्रमाण को साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक

निर्दोषता अभियोजन पक्ष की तुलना में अधिक नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक "सभी उचित संदेह से परे" है, लेकिन यह अभियुक्त पर "संभावना की प्रधानता" है। यदि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 35 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए मूलभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है, तो अधिनियम जिसका अधिकार है

अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ नहीं कहा जा सकता है स्थापित किया गया।

59. इसके दायरे में आवश्यकताओं को लाने की दृष्टि से

अधिनियम की धारा 54, निषिद्ध पदार्थ के कब्जे का तत्व आवश्यक था ताकि आरोपी पर बोझ डाला जा सके। प्रावधान सामान्य नियम के अपवाद होने के कारण, इसकी व्यापकता जारी रहेगी, अर्थात्, कब्जे के तत्व को उचित संदेह से परे साबित करना होगा।

इसके अलावा, नमूना में जमा नहीं किया गया है

मालखाना, निजी गवाहों की गैर-जांच के साथ, इसमें अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था। भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2011 (11) में इस सिद्धांत को दोहराया गया है।

एससीसी 653।

14. आपराधिक अभियोजन में, जांचकर्ता पर एक दायित्व है कि वह न केवल जांच के दौरान निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण हो, बल्कि यह भी कि उसके चेहरे पर जांच ऐसी प्रतीत होनी चाहिए, किसी भी आचरण या धारणा से बचना चाहिए जो एक आरोपी के मन में एक वास्तविक और वास्तविक आशंका को जन्म दे सकती है, न कि केवल काल्पनिक, कि जांच निष्पक्ष नहीं थी। इन परिस्थितियों में, यदि आपराधिक अभियोजन में एक सूचना देने वाला पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से सबूत का उल्टा बोझ उठाते हुए, आरोप लगाता है, तो उसे स्वयं जांच करने के लिए कहा जाता है, तो उसकी निष्पक्षता के संबंध में गंभीर संदेह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे और

निष्पक्षता। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्वाग्रह को वास्तव में साबित किया जाना चाहिए।

यह मान लेना अतार्किक होगा और सामान्य मानव आचरण के विपरीत होगा, कि वह स्वयं जाँच के अंत में एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि इसके सभी परिचर परिणामों के साथ गलत निहितार्थ का निष्कर्ष निकाला जा सके

स्वयं शिकायतकर्ता के लिए। इसलिए जाँच का परिणाम एक पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष होगा।

15. वर्तमान मामले में चर्चा को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत निष्पक्ष जांच की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं समझा जा सकता है।

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985। यह अभिनिर्धारित किया गया कि हेड कांस्टेबल स्वयं शिकायतकर्ता होने के नाते आगे नहीं बढ़ सकता था जांच और यह एक प्रथा थी, कम से कम कहने के लिए, जिसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच पर संदेह करने का कोई अवसर न हो। राजंगम (ऊपर) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अभियोजन था, इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि आरोपी को पकड़ने वाले पी. डब्ल्यू.-6 मामले की जांच नहीं कर सकते थे। आपत्ति को बरकरार रखते हुए, मेघा सिंह (ऊपर) पर भरोसा करते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बालासुंदरन बनाम में लिया गया दृष्टिकोण। राज्य, 1999 (113) ई. एल. टी. 785 (एम. ए. डी.) को भी निम्नानुसार देखा गयाः

" 16. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि पी. डब्ल्यू. 5 पुलिस निरीक्षक होने के नाते जो तलाशी के समय मौजूद थे और वे जांच अधिकारी थे और इस तरह यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पी. डब्ल्यू. 5, के अनुसार अभियोजन पक्ष, तलाशी के समय पीडब्लू 3 और 4 के साथ मौजूद था।

वास्तव में, पी. डब्ल्यू. 5 ने अकेले मामले में जांच शुरू की और उन्होंने गवाहों से पूछताछ की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी. डब्ल्यू. 5 के उत्तराधिकारी ने ही आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसने किसी अन्य गवाह से पूछताछ की थी। इसलिए यह पता चलता है कि पीडब्लू 5 वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में मामले की जांच की थी। पी. डब्ल्यू. 5 वह व्यक्ति था जिसने विचाराधीन अपीलार्थियों की तलाशी ली थी और वह जांच अधिकारी होने के नाते, निश्चित रूप से यह उचित और सही नहीं है। जाँच किसी अन्य जाँच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए थी। इस मामले में भी, जांच को नुकसान उठाना पड़ता है और इस तरह पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी। मोहन लाल बनाम।

16. भास्कर रामप्पा मदार (ऊपर) धारा 304 बी, आई. पी. सी. के तहत अभियोजन से संबंधित है जिसमें सबूत का उल्टा बोझ भी होता है। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जाँच अधिकारी जो शिकायतकर्ता जाँच नहीं कर सकता था, और उस आधार पर, अभियोजन पक्ष को दागी माना। उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलट दिया गया था। अपील में, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भगवान सिंह (ऊपर) और मेघा सिंह (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, यह देखा गया कि उसमें निर्धारित सिद्धांतों को उक्त मामलों के तथ्यों तक ही सीमित रखना होगा और इस मामले का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर बिना किसी सार्वभौमिक सामान्यीकरण के करना होगा।

17. हार्डिप सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2008 (8) एस. सी. सी. 557

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियोजन से संबंधित। तर्क यह था कि निरीक्षक, पीडब्लू-5 स्वयं शिकायतकर्ता होने के नाते एक इच्छुक व्यक्ति होगा। व्यक्ति और उसे जाँच अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए था। राज्य प्रतिनिधि पर भरोसा करते हुए तर्क को खारिज कर दिया गया। पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु बनाम वी. जयपॉल, 2004 (5) एस. सी. सी. 223 ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 6 ..... हम यह मानने के लिए कोई सिद्धांत या बाध्यकारी प्राधिकरण नहीं पाते हैं कि जिस क्षण सक्षम पुलिस अधिकारी, प्राप्त जानकारी के आधार पर, अपने नाम को शामिल करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करता है।

सूचना देने वाला, वह जाँच करने का अपना अधिकार खो देता है। यदि बिल्कुल भी हो, तो इस तरह की जांच पर केवल जांच अधिकारी की ओर से पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के आधार पर हमला किया जा सकता है। पक्षपात का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और एक व्यापक और अयोग्य प्रस्ताव रखना उचित नहीं है, जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी अपने दम पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जांच अनिवार्य रूप से अनुचित या पक्षपातपूर्ण होगी।

महत्वपूर्ण रूप से, वी. जयपॉल, (ऊपर) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक अभियोजन से संबंधित है जिसमें मेघा को अलग करने की मांग की गई थी सिंह, (ऊपर) इसके तथ्यों पर।

18. बलदेव सिंह, (ऊपर) जिस पर राज्य भरोसा करता है, एक मामले में अनियमितता से संबंधित अपने स्वयं के तथ्यों पर अलग है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा जांच।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. सुरेंदर (ऊपर) में अभियोजन एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत था। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। यह आपत्ति कि पीडब्लू-6, उप निरीक्षक सतबीर सिंह शिकायतकर्ता होने के नाते राजंगम, (ऊपर) और मेघा सिंह, (ऊपर) पर भरोसा करते हुए जांच नहीं कर सकते थे, इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वे मामले की जांच करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे, और यह कि अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष आधार नहीं उठाया गया था।

20. विवाद की प्रकृति में, इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना उपयोगी होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अतुल शर्मा 2015 (2) शिम्लक 693 (क्रोरल। 2008 की अपील संख्या 246, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत 28.02.2015 पर निर्णय लिया गया, यह निम्नानुसार देखा गयाः

" 10.8 वर्तमान मामले में यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि शिकायतकर्ता एफ़. आई. आर. Ext.PW12/ए के अनुसार एस. आई. बहादुर सिंह है और यह उस पर साबित होता है। रिकॉर्ड करें कि पूरी जांच द्वारा की गई है

स्वयं शिकायतकर्ता और यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि जांच किसी अन्य को सौंपी गई थी

स्वतंत्र जाँच अधिकारी। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र जांच अधिकारी उपलब्ध नहीं था। हमारी राय है कि पूरी जांच करने यानी जब्ती ज्ञापन की तैयारी, स्थल योजना, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं गवाहों के बयान दर्ज करने से आरोपी को न्याय नहीं मिला है। जाँच "।

21. श्री फ़यास अली बनाम मिजोरम राज्य सी. आर. एल. में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियोजन से संबंधित 2013 की अपील संख्या 26 (जे) दिनांक 19.09.2013 निम्नानुसार हैः

" पीडब्लू 1 और 4 के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी, जब्ती की तैयारी, नमूना लेना, जब्ती के गवाहों की जांच और आरोपी व्यक्ति की जांच सहित जांच का प्रमुख हिस्सा पीडब्लू 1 द्वारा पूरा किया गया था, जो वर्तमान मामले में मुखबिर/शिकायतकर्ता था। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि जांच, अपने सही मायने में, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं की गई थी। राज्य के मामले में पुलिस निरीक्षक, स्वापक खुफिया ब्यूरो द्वारा,

मदुरै (ऊपर), उच्चतम न्यायालय ने मेघा सिंह (ऊपर) के मामले में लिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि जांच शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी है और यह कि ए. एन. एल. ए. एल. बनाम.

पंजाब राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

शिकायतकर्ता द्वारा की गई जाँच पीड़ित और दूषित होने के लिए बाध्य है।

पूरी कार्यवाही "।

22. गन्नू और अन्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। बनाम।पंजाब, 2017 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) 566 (सी. आर. एल.) एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित अपील सं. 1688 2004 दिनांक 26.05.2017), या आगा, (ऊपर) और कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचारों को अतुल शर्मा (ऊपर) को संदर्भित करने के बाद, निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गयाः

" 14. मामले का एक अन्य पहलू यह है कि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन करते हुए, शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति हैं, जो अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाता है। लालटू प्रसाद बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल, 2017 (2) आर. सी. आर (आपराधिक) 237 (कलकत्ता) (डी. बी.), यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता स्वयं निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जांच अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है।

अभ्यास, कम से कम कहने के लिए, सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और यह एक है

परेशान करने वाली विशेषता। इसी प्रभाव के लिए, एक डिवीजन बेंच है

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में सूचित किया गया

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। अतुल शर्मा और अन्य, 2015 (6) आर. सी. आर. (आपराधिक) 949, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां शिकायतकर्ता स्वयं जाँच करता है, वह गर्भपात का कारण बनता है। निष्पक्ष जाँच के लिए अभियुक्त को न्याय का अधिकार। "

23. एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित नौशाद बनाम केरल, 2000 (1) के. एल. टी. 785 मामले में केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहाः

6 :

" ..... इस तरह के मामले में, जब शिकायतकर्ता स्वयं एक पुलिस अधिकारी है, तो जांच उसके शीर्ष अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी और अंतिम रिपोर्ट भी उच्च अधिकारी द्वारा दायर की जानी चाहिए थी। एक शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी होने के नाते जाँच अधिकारी नहीं हो सकता है। क्योंकि, ऐसे मामले में, अभियुक्त और अभियोजन पक्ष एस. एस. के तहत दर्ज पिछली जानकारी का खंडन करने और पुष्टि करने के अपने मूल्यवान अधिकारों से वंचित होंगे। 154 या 155 Cr.P.C. और गवाह का पिछला बयान, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज शिकायत. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 157 में आदेश दिया गया है और धारा 162 Cr.P.C के प्रावधान। तत्काल मामले में, मेरे सामने, पीडब्लू1 पुलिस का एक सहायक उप निरीक्षक है, और मैं लोक अभियोजक के साथ-साथ [2018] 9 एस. सी. आर. के वकील से भी समझता हूं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि विशेष पुलिस स्टेशन को पुलिस का एक उप निरीक्षक मिला है। इसलिए इस मामले में जांच पुलिस उपनिरीक्षक या किसी अन्य द्वारा की जानी चाहिए थी। पीडब्लू1 के पद से ऊपर का पुलिस अधिकारी। तत्काल मामले में, इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा एक लाइलाज दुर्बलता और दोष किया गया है, जो कानून के प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए, उसी आधार पर, याचिकाकर्ता बरी करने का आदेश प्राप्त करने का हकदार है। कानून की स्थिति के आधार पर मेरे उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसे याचिकाकर्ता को बरी करके अनुमति दी जानी चाहिए।

उसी को अस्वीकार करते हुए, कादर बनाम राज्य में एक खंड पीठ

केरल, 2001 सी. आर. आई. एल. जे. 4044, आयोजितः

" 6. आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य मामलों के विपरीत, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मामलों में गिरफ्तारी के समय तक जांच का मुख्य हिस्सा पूरा हो जाएगा और जांच अधिकारी का कर्तव्य मुख्य रूप से रासायनिक विश्लेषण और अन्य नियमित कार्यों के लिए नमूने भेजना है और सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पूर्वाग्रह की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि केवल इसलिए कि एक डिटेक्टिंग अधिकारी स्वयं जांच अधिकारी है या उसी रैंक का अधिकारी है जो डिटेक्टिंग अधिकारी मामले की जांच कर रहा है और अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करता है, N.D.P.S के तहत कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा। इसलिए, कानूनी नौशाद बनाम में बताई गई स्थिति। इसके विपरीत केरल राज्य 2000 (1) के. एल. टी. 785 को खारिज कर दिया गया है।

24. कादर (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण हमारी मंजूरी को पूरा करता है। यह मानने के समान है कि एफ. आई. आर. एक सुसमाचार सत्य था, जो जांच को एक खाली औपचारिकता बनाता है, यदि एक प्रहसन नहीं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई के आरोपी के अधिकार को उस स्थिति में अस्वीकार कर दिया जाएगा। मनमाना और अप्रमाणित शक्तियाँ निहित हैं? एन. डी. पी. एस. अधिनियम और सबूत के विपरीत बोझ वाले समान कानूनों से संबंधित मामलों में पुलिस के साथ। जाँच तथ्यों का एक व्यवस्थित संग्रह है जिसका उद्देश्य यह वर्णन करना है कि क्या हुआ और यह समझाना है कि यह क्यों हुआ। प्रणालीगत शब्द से पता चलता है कि यह एक सनकी प्रक्रिया से अधिक है। एक जांचकर्ता जांच के तहत घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्र करेगा। तथ्य मात्र जानकारी है और सत्य का पर्याय नहीं है। इसलिए, कादर (ऊपर) को खारिज कर दिया जाता है। हम नौशाद (ऊपर) में लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं।

मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

25. अलग-अलग दोनों द्वारा व्यक्त परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार के रूप में एक अभियुक्त के दृष्टिकोण से एक निष्पक्ष जांच का महत्व, यह आवश्यक माना जाता है कि इस संबंध में कानून निश्चितता के साथ निर्धारित किया जाए। किसी मामले के व्यक्तिगत तथ्यों पर निर्धारित होने के लिए मामले को छोड़ने से न केवल शक्तियों का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुलिस, आरोपी, वकील और अदालतों को अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में छोड़ देगा, जिससे बचना होगा। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक निष्पक्ष जाँच, जो कि निष्पक्ष विचारण का आधार है, आवश्यक रूप से यह अभिनिर्धारित करती है कि सूचना देने वाला और अन्वेषक एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। पक्षपात या पूर्व निर्धारित निष्कर्ष की किसी भी संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए। सबूत के विपरीत बोझ वाले कानूनों में यह आवश्यकता और भी अधिक अनिवार्य है।

26. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। द.

निष्पक्ष जाँच की संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन के कारण अभियोजन को दूषित माना जाता है। अपीलार्थी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।